कजोड़ बनाम सरकार 2023/199

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	30/05/25	पत्रावली पेश। वकलाय उप०। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 06/06/25 को पेश हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)	
	06/06/25	पत्रावली पेश। वकलाय उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की पूर्ण बहस पर मनन पश्चात् प्रार्थना पत्र LR Act 128 प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 06/06/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी ओम प्रकाश मीना RAS)

प्रकरण संख्या :- 70 / 2023   आर.सी.एम.एस. संख्या :- 2023 / 199

[illegible] पुत्र [illegible]
1. [illegible] पुत्र फूल्या उर्फ फूलचन्द
2. [illegible] देवी पत्नी [illegible]
3. [illegible] लाल पुत्र [illegible]
4. [illegible] पुत्र [illegible]
5. [illegible] देवी पत्नी [illegible]
6. [illegible] पुत्र [illegible]
7. [illegible] देवी पत्नी कल्याणसहाय
8. [illegible] देवी पत्नी [illegible]
9. [illegible] पुत्र फूल्या उर्फ फूलचन्द
10. [illegible] देवी पुत्री कल्याणसहाय
11. [illegible] पुत्र फूल्या उर्फ फूलचन्द
12. [illegible] पुत्र [illegible]
13. [illegible] पुत्र कल्याणसहाय
14. समस्त जाति माली निवासीगण ढाणी [illegible] की बाड़या ग्राम बस्सी जिला जयपुर।
15. [illegible] पत्नी [illegible] जाति मुसलमान निवासी ग्राम बस्सी जिला जयपुर।

—प्रार्थीगण—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।
2. [illegible] पुत्र [illegible] माली
3. [illegible] पुत्र [illegible] माली
4. [illegible] पुत्र [illegible] माली (नाम हजफ)
5. [illegible] पुत्र नारायण माली
6. [illegible] पुत्र [illegible] माली
7. [illegible] पुत्र [illegible] माली
8. [illegible] पुत्र [illegible] माली
9. [illegible] पुत्र [illegible] माली
10. [illegible] पुत्र [illegible]
11. [illegible] पुत्र कल्याण माली
12. [illegible] पुत्र [illegible] माली
    समस्त निवासीगण [illegible] की बाड़या मन्दिर वाली ढाणी ग्राम बस्सी जिला जयपुर।
13. [illegible] पुत्र [illegible] जाति महाजन
14. [illegible] पुत्र [illegible] जाति महाजन
    समस्त निवासीगण ग्राम बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर।

—अप्रार्थीगण

15. [illegible] पुत्र रामसहाय माली
16. [illegible] पुत्र रामसहाय माली
17. [illegible] पुत्र रामसहाय माली
18. [illegible] पुत्र रामसहाय माली
19. [illegible] पुत्र रामसहाय माली
    समस्त जाति माली निवासीगण [illegible] की बाड़या ग्राम बस्सी जिला जयपुर।

—तरतीबी अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:—श्री [illegible] शर्मा, एडवो. प्रार्थीगण।
श्री [illegible] पारीक, एडवो. अप्रार्थी संख्या [illegible]
श्री [illegible] शर्मा, एडवो. अप्रार्थी संख्या [illegible]

दिनांक 06/08/2025

—निर्णय—

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की [illegible] काश्त एवं खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2010 रकबा 1.[illegible] हैक्टर, खसरा नम्बर [illegible] रकबा [illegible] हैक्टर, खसरा नम्बर 2012 रकबा 0.1700 हैक्टर वाके ग्राम बस्सी त.ह. बस्सी जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि [illegible] की भूमि का तहसीलदार बस्सी के आदेश की पालना में [illegible] के [illegible] प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि का [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
70/2023 (2021/100)
निर्णय दिनांक 08/08/2024

.2023 व 19.06.2023 को नियमानुसार सीमा ज्ञान करवा लिया था एवं प्रार्थीगण उक्त सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी मय पुलिस जाप्ता करवाना चाहते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2010 रकबा 1.3700 है0, खसरा नम्बर 2015 रकबा 0.2000 है0, खसरा नम्बर 2012 रकबा 0.1700 है0 वाके ग्राम बस्सी प.ह. बस्सी जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि का तहसीलदार बस्सी जिला जयपुर की दिनांक 20.06.2023 व 19.06.2023 की सीमाज्ञान रिपोर्ट के मुताबिक मय पुलिस जाप्ता पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये साधारण/रजि0 डाक एडी तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 5 ता 9, 11 व 12, व 13 ता 14 की ओर से अधिवक्ता वकालतन जवाबतन उपस्थित आये, प्रार्थना पत्र बाबत् नाम हजफ को न्यायहित में स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 4 का नाम हजफ किया गया। बावजूद अवसरों के जवाब पेश नहीं करने एवं बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी संख्या 10 ता 15 ता 19 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 5 ता 9, 11 व 12, व 13 ता 14 के अधिवक्ता ने जवाब पेश कर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आराजी की मुताबिक पैमाईश दिनांक 20.06.2023 व 19.06.2023 के अनुसार पत्थरगढी के आदेश जारी करने का निवेदन किया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने पुष्टि में जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 खसरा नम्बर 2010 रकबा 1.3700 है0, खसरा नम्बर 2015 रकबा 0.2000 है0, खसरा नम्बर 2012 रकबा 0.1700 है0 वाके ग्राम बस्सी प.ह. बस्सी जिला जयपुर की नकल पेश की। वही अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2, 3, 5 ता 9, 11 व 12, व 13 ता 14 ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलबध जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 खसरा नम्बर 2010 रकबा 1.3700 है0, खसरा नम्बर 2015 रकबा 0.2000 है0, खसरा नम्बर 2012 रकबा 0.1700 है0 वाके ग्राम बस्सी प.ह. बस्सी जिला जयपुर के अंकित इन्द्राज के अनुसार आराजी विवादित प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी होना साबित है। साथ ही संलग्न रिपोर्ट पैमाईश दिनांक 20.06.2024 से भी यह तथ्य प्रार्थीगण साबित है कि प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार बस्सी के माध्यम से हल्का पटवारी से दिनांक 20.06.2023 व 19.06.2023 को विवादित आराजी की पैमाईश कराई जा चुकी है। जिसके प्रावधान इस प्रकार है कि :– *Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*

(2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land records officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly-

Sec.128. Boundary disputed- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111.

उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि है, जिसका प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में सीमाज्ञान करवाया जा चुका है। इसलिये प्रार्थीगण को अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु पत्थरगढी के आदेश जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

[illegible]
70/2023 (2023/190)
निर्णय दिनांक–06/06/2025

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 खसरा नम्बर 2010 रकबा 1.3700 है0, खसरा नम्बर 2015 रकबा 0.2000 है0, खसरा नम्बर 2012 रकबा 0.1700 है0 वाके ग्राम बस्सी प.ह. बस्सी जिला जयपुर स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बस्सी को आदेश जारी किये जाते है कि वो अपनी उपस्थिति में प्रार्थीगण के खर्चे पर पक्षकारान की उपस्थिति में विवादित आराजी की पैमाईश कर धारा 111 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार सीमाज्ञान दिनांक 20.06.2023 व 19.06.2023 के अनुसार कायम करने हेतु संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र एवं उस भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र के तीन पटवारीगणों की संयुक्त टीम गठित की जाकर यदि मौंके पर कानुन व्यवस्थार्त पुलिस जाप्ता की आवश्यकता हो तो संबंधित पुलिस थाना से पर्याप्त पुलिस इमदाद प्राप्त कर न्यायालय हाजा के आदेश की पालना में नियमानुसार पत्थरगढी कराने की कार्यवाही करें। यहां यह स्पष्ट है कि यह आदेश केवल सीमाज्ञान एवं सीमाचिन्ह कायम करने हेतु है। इस आदेश की पालना में किसी भी पक्ष को जबरन बेदखल कर दूसरे पक्ष को कब्जा न दिलाया जावें। तहसीलदार बस्सी को पालना हेतु निर्णय प्रति भिजवाई जावें।

ह निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली र से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

(ओम प्रकाश मीणा R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी
जिला जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर (राज.)